

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि0/08/805

दिनांक:-9/2/09

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों को वर्ष 2007-08 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा चयन/पदोन्नत किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री गोविन्द पारीक	25/01/63	सामान्य
2	श्री शांतिलाल कूलमी	6/5/55	सामान्य
3	श्री मोहन कुमार आचार्य	2.9.63	सामान्य
4	श्री बाबूलाल कपूर	1.1.65	सामान्य
5	कुमारी सरिता जोशी	13-7-66	सामान्य
6	श्री गिरीश कुमार शर्मा	5.8.56	सामान्य
7	श्री लोकेन्द्र कुमार	10.9.72	सामान्य
8	श्री हरिशकुमार स्वर्णकार	6.8.69	सामान्य
9	श्री कैलाश सिंह राव	18-2-57	सामान्य
10	श्री मोहनलाल	1.7.71	सामान्य
11	श्री अनीश मोहम्मद	18-8-70	सामान्य
12	श्रीमती कलावती	28-5-72	सामान्य
13	श्रीमती सरोज लाखीवाल	12/7/63	सामान्य
14	श्री ललित कुमार	12/2/69	सामान्य
15	श्री ओमदत्त शर्मा	31-5-71	सामान्य
16	श्री मनोहर सिंह राठौड	6/6/68	सामान्य
17	श्रीमती कमलम्मा नायर	4/10/51	सामान्य
18	श्री जैकब वी. जोन	29-9-52	सामान्य
19	श्री अनिल ललवानी	10/9/71	सामान्य
20	श्री सीताराम दरोगा	16-8-58	सामान्य
21	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	5.1.64	सामान्य
22	श्री नारायण राम	4/12/54	सामान्य
23	श्री खेमचंद जयमन	10/10/62	सामान्य
24	सुश्री अनिता जी.के.	10/6/69	सामान्य
25	श्री दिनेशकुमार खटीक	1.3.73	अजा
26	श्री मनोज कुमार	4.10.72	अजा
27	श्री सुआलाल	17.7.58	अजा

श्री सुरेन्द्र कुमार राणा, श्री मकबूल अहमद, श्री सोहनप्रकाश राठौर, श्री त्रिवेन्द्र कुमार, श्री महेश जैसवाल, श्री प्रेमपालसिंह चाहर, श्रीमती पुष्पलता सक्सेना, श्री मनमीत गोपी, श्री भंवरलाल गहलोत, श्री राजकुमार सहगल, श्री कैलाशचन्द यादव, श्री आनन्दप्रकाश नाई, श्री मिश्रीलाल भाटी, श्री महेन्द्र कुमार हरपावत, श्री गोपाल सिंह, श्री दुर्गालाल कुम्हार, श्री मोहनलाल मेघवाल, श्री पूनमचन्द, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री कुरिया चमार, श्री शिवकुमार पायक, श्रीनानगराम बैरवा, श्री नथमल, श्री महेन्द्र कुमार आलडिया, श्री बाबूलाल मीणा एवं श्री रामजीलाल मीणा का चयन वर्ष 2000-01 से 2006-07 की एपीएआर उपलब्ध होने की शर्त पर किया गया है किन्तु इन कर्मचारियों की विगत सात वर्षों की एपीएआर उपलब्ध नहीं होने के कारण वरिष्ठ लिपिक का पद आरक्षित रखते हुए परिणाम को लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया है । संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने के उपरान्त इन कर्मचारियों को वर्ष 2007-08 में पदोन्नत किया जाकर पदस्थापित किया जायेगा ।

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जावेंगे तभी पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

अति०निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि०/०८/८६५

दिनांक:-१२/०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति०निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज० जयपुर